

उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर


//आदेश//

क्रमांक A/8565,

जबलपुर, दिनांक 22 /दिसम्बर, 2023

श्रीमती प्रीति गाडे, एडमिनि. आफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के दिनांक 25.10.2023 से दिनांक 30.11.2023 तक 37 दिन के स्वीकृत असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) के तारतम्य में दिनांक 01.12.2023 से आवेदिका के लिखित आवेदन के अनुसार वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोके जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय के
आदेशानुसार


(संदीप शर्मा)


प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

पृष्ठांकन क्रमांक A/8566

जबलपुर, दिनांक 22 /दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे.),लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकाल/वेतनपत्रक), उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाइपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर.
6. श्री प्रीति गाडे, एडमिनि.आफिसर., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(अनिल कुमार) 21/12/23
रजिस्ट्रार(न्यायिक -I)